

नामनिर्देशन-पत्र

लोक सभा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग 1 या भाग 2, इनमें से जो भी लागू न हो, उसे काट दें

भाग- 1

(मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किया जाना है)

मैं लोक सभा के निर्वाचन के लिए 01 बालिमकी नगर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र

से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम सतीश चंद्र दुर्वे पिता/माता/पति का नाम
इंद्रजीत दुर्वे उसका डाक पता ग्राम-इरसरी पोस्ट-मरकटियागंज

जिला-40-धम्परा उसका नाम 01 बालिमकी नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (में समाविष्ट 03 नरकटियागंज विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग सं० 145 में क्रम सं० 391

पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम रमेश प्रसाद कुशवाह है जो 01 बालिमकी नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (में समाविष्ट 03 नरकटियागंज विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग सं० 148 में क्रम सं० 566 पर प्रविष्ट है।

तारीख 22-04-2014

रमेश प्रसाद कुशवाह
(प्रस्तावक के हस्ताक्षर)

भाग- 2

(मान्यता प्राप्त दल द्वारा खड़े न किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)

हम घोषणा करते हैं कि हम लोक सभा निर्वाचन के लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम

पिता/माता/पति का नाम

उसका डाक पता

उसका नाम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र * (में समाविष्ट विधान

सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या में क्रम सं० पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपदर्शित है, दर्ज है और हम इस नामनिर्देशन के नीचे प्रतीक स्वरूप नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं।

प्रस्तावकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

प्रस्तावक का निर्वाचक नामावली संख्यांक						
क्रम सं०	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र घटक का नाम	निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक	उस भाग में क्रम सं०	पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

कृपया ध्यान दें :- प्रस्तावक के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए ।

भाग- 3

मैं, भाग 1/भाग 2 (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि-

(क) मैंने 39 वर्ष की आयु पूरी कर ली है ।

(नीचे ख (i) या ख (ii) जो लागू न हो उसे काट दें)

(ख) (i) मुझे इस निर्वाचन में भारतीय जनता पार्टी दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में गान्धिताप्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे आवंटित किया जाए ।

या

(ख) (ii) मुझे इस निर्वाचन में देवनागरी दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है। मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें) और मैंने जो प्रतीक चुने है वे अधिमान क्रम में (i) देवनागरी

(ii) देवनागरी (iii) देवनागरी है।

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/महर्ता/प्रति का नाम ऊपर देवनागरी (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है ।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं *जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो
राज्य के उस राज्य में के (क्षेत्र) -के संबंध में अनुसूचित
**जाति/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे लोक सभा के लिए निर्वाचन कराए जा रहे साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में दो से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।

तारीख 22-04-2014

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

* लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

** यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दें।

कृपया ध्यान दें :- "मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल" से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के अधीन संबंधित राज्य में मान्यता प्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत है।

भाग- 3 (क) (अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

क्या अभ्यर्थी को :-

- (i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम- 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की-
(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए या
(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,
सिद्धदोष ठहराया गया है ; या

हाँ/नहीं

- (ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है

यदि उत्तर "हाँ" में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

- (i) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट, संख्यांक
(ii) पुलिस थाना (थाने)
जिला (जिले)
राज्य
(iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था
(iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख / (तारीखें)
(v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था

- (vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और या जुर्माने (जुर्मानों) की राशि उपदर्शित करें शु.प.
- (vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें) शु.प.
- (viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण फाइल किए गए थे : हैं/नहीं
- (ix) फाइल की गई अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टताएं :- शु.प.
- (x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें) /पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे :- शु.प.
- (xi) क्या उक्त अपील (अपीलों) /पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे लंबित है शु.प.
- (xii) यदि उक्त अपील (अपीलों) /पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो
- (क) निपटारे की तारीख (तारीखें) शु.प.
- (ख) पारित आदेश (आदेशों) की प्रकृति शु.प.

स्थान :- वेतिचा

तारीख :- 22.04.2014

अभिधी-4589
(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

भाग- 4

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नामनिर्देशन-पत्र की क्रम संख्या- 08

यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय में 22.4.14 (तारीख) को 11.11 AM (बजे) *अभ्यर्थी/प्रस्तावक द्वारा परिदत्त किया गया ।

तारीख 22.4.14

(रिटर्निंग आफिसर/अधिकारी)
01-बालीखिन्ना संज्ञीय नियांरप 1/3

*जो शब्द लागू न हो उसे काट दीजिए ।

भाग- 5

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ :-

तारीख

(रिटर्निंग आफिसर)



GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION, EXCISE & PROHIBITION DEPT.
WEST CHAMPARAN SCORE BETIA

COURT FEE

प्ररूप 26

Authorization No. 599

केशरी निम्न 4 मि. प्रेषित

केसरी पब्लिक, केसरी (पंचव्यापार)



STAMP DUTY

00000

Rs. 0000100 ≈ 21.

375349

Zero-Zero-Zero-Zero-Due

Authority
Under: Series Act
1352(53 of 1952) & Rule
297 C.P.C. 133 C.P.C.



2489
21.4.14

01 कालिका नगर

निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

मैं सतीश चंद्र दुबे पुत्र/पुत्री/पत्नी इंद्रजीत दुबे आयु 39 वर्ष,
जो ग्राम - हरसरी पोस्ट - नरकतिभागाँज बाजार - शिकारपुर, पंचव्यापार
(डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/
करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

(1) मैं भारतीय जनता पार्टी (राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/स्क
स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ। (जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम 03 नरकतिभागाँज सामान्य विधान निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं 0 145 के
क्रम सं 0 391 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्याएँ है/हैं 9431809421
मेरा ई-मेल आईडी (अगर कोई हो) है 0.Satishchandra.dubey.21@gmail.com
एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है 0.Satishchandra.dubey.21@gmail.com
WWW.fb.com/aapksatish

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्राप्ति :-

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूप में)
1.	स्वयं	AUPPD3228 A	2013-2014	300000000
2.	पति या पत्नी	BKFPK 5021 H	2013-2014	278,41000
3.	आश्रित-1	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	आश्रित-2	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	आश्रित-3	शुन्य	शुन्य	शुन्य



(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध(अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध(अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी:-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण व्यौरे	① चनपटिया बाग कांड सं० - 212/93 ② कांड सं० - 151/99
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके(जिनके) लिए आरोपित किया गया है	① 147, 148, 149, 302, 307, 305, 306, 307, 308, 452, 380, 428, 429 भादव (को एं 2780 एं 80 नाजायज मजमा 90085 एं 2 में भाग लेने के लिए) ② 395, 397 भादव सं० इस्तीफा करना
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	① मुख्य न्यायाद्वारा वेतिपा 2.12.95 ② अपर मुख्य न्यायाद्वारा कांड 19.8.2000
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	① प्रथम अपर न्यायाद्वारा 25 सत्र न्यायाद्वारा वेतिपा ② प्रथम अपर न्यायाद्वारा 25 सत्र न्यायाद्वारा वेतिपा
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	① 26.07.2010 ② 31.05.2013
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	शुन्य

(ii) निम्नलिखित मामला(मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है [पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न] :-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	मुख्य न्यायाद्वारा वेतिपा चनपटिया बाग कांड सं० 132/99 15.11.2000
(ख)	उन मामलों के व्यौरे, जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	302, 120वीं भादव सं० एं 314 सत्र न्यायाद्वारा पदाव अधिनियम अपराध सं० 302 भादव सं० सत्र न्यायाद्वारा से इला करित करना
(ग)	पूर्वोक्त आदेश(आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन(आवेदनों) (यदि कोई हो) के व्यौरे	शुन्य

21.04.2021
NOTARY PUBLIC
Dr. Anand Kumar
Bharatpur
Uttar Pradesh

मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951(1951 का 43)की धारा 8 की धारा(1) या उपधारा(2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध(अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्ध दोष प्रत्यक्ष नहीं उठराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंड दिया गया है/नहीं दिया गया है।

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है:

(क)	उन मामलों के ब्यौरे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	शुन्य
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश(आदेशों) की तारीख(तारीखें)	शुन्य
(ग)	अधिरोपित दंड	शुन्य
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/हैं। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रारिथति	शुन्य

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ:

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे:

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3- सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4- यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5- रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	1,50,000	₹2,000	शुन्य	शुन्य	शुन्य
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय	SB1-674-46 SB1 4494-46	SB1- 18408-00	शुन्य	शुन्य	शुन्य



	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
(ii)	गैर कृषि भूमि: अवस्थिति (अवस्थितियाँ)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	सर्वेक्षण संख्यांक(संख्याएं)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हां या नहीं)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	12,20,000=	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेन्ट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	सर्वेक्षण संख्यांक(संख्याएं)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	निर्मित क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हां या नहीं)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेन्ट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ)	संयुक्त	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	सर्वेक्षण संख्यांक(संख्याएं)					



क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	10,800 वर्ग फुट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
निर्मित क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	10,000 वर्ग फुट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
क्या विरासत में आई संपत्ति है(हां या नहीं)	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	10,000.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अनुमानित चालू बाजार मूल्य	15,00,000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v) अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi) पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	27,20,000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ:-

(टिप्पण: कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरे का पृथक विवरण दें)

क्रम सं.	विवरण	स्वरूप	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	LI. 2,57,750/- LI. 2,40,000/- शून्य-1,09,182/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टियों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दायित्वों का कुल योग	6,06,932/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	सरकारी शोध्य: सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

	विभाग को शोध	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	19,857=	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	आय-कर शोध	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	घनकर शोध	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	सेवाकर शोध	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	विक्रयकर शोध	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	कोई अन्य शोध	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
(iii)	सभी सरकारी शोधों का कुल योग	19,857=	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य

9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे:

(क) स्वयं: कृषि एवं डेरी फार्म
(ख) पति या पत्नी: व्यवसाय

10) शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है-

मास्टिक, वर्ष 1991, उच्च विद्यालय नरकमिर्गांग, विहार
विद्यालय-परीक्षा समिति परगना

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय
शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा
किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये ब्यौरों का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कुरु सतीश चंद्र-दुर्ग
2	डाक का पूरा पता	ग्राम-इरसरी पोस्ट नरकमिर्गांग बाग डिगरीपुर जिला- पंचमपाली
	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	01 वाल्मिकीनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट 03 नरकमिर्गांग विहार- सामान्य विद्यालय समिति निर्वाचन क्षेत्र



4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है(अन्यथा "स्वतंत्र" लिखें)		भारतीय जनता पार्टी			
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।		दो (2)			
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है [उपर मंद (i) में उल्लिखित मामलों से भिन्न]		एक (1)			
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। [लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए]		शून्य			
7		 का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।		कुल दर्शित आय	
	(क) अभ्यर्थी	AUPPD 3228 A	2013-2014		300000=	
	(ख) प्रतियोगिता पत्नी	BKPPK 5021 H	2013-2014		278410=	
	(ग) आश्रित	शून्य	शून्य		शून्य	
8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रुपये में)					
	विवरण	स्वयं	प्रतियोगिता पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-
क	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	18,61,168.92	14,80,408	शून्य	शून्य	शून्य
ख	स्थावर आस्तियां					
	i स्वर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ii क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	iii अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

21.04.10



	(क) स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	27,20,000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9	दायित्व					
i	सरकारी शोध्य (कुल)	19,857/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	606,932/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है					
i	सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11	उच्चतम शैक्षिक अर्हता:	मैं ट्रिंक, उच्च विद्यालय गुरुकुल गंग- वर्ष-1991, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति-427				
(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का व्यौरें दें।)						

सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि:-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8,9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 22-04-2014 को सत्यापित किया गया।

Identified
by
21/4/14

अभिसाक्षी 39

टिप्पण: 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 बजे अपराहन तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण: 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण: 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथा स्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।



टिप्पण: 5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को W.P.(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गए न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भर जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जांच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण: 6. शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

"मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें हैं/हैं.....

मेरा ई-मेल आईडी (अगर कोई हो) है.....

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) हैं.....

